राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6323/2022

सीताराम गौड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.12.2022
आदेश की दिनांक : 16.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावर, जिला झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूसा, ब्लॉक नैनवा, जिला बूंदी किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 5111/2022 प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में अधिकरण ने उक्त स्थानान्तरण आदेश पर रोक लगाते हुए अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया तथा प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करने का निर्देश देते हुए एक आख्यात्मक आदेश जारी करने का आदेश दिनांक 14.11.2022 को पारित किया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 24.11.2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा प्रत्यर्थी विभाग ने उसके अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा खारिज कर दिया। उनका

कथन है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया गया तथा उनके तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावर, जिला झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के अभ्यावेदन का नियमानुसार निस्तारण करते हुए आख्यात्मक आदेश पारित किए जाने का आदेश दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए आख्यात्मक आदेश जारी किया गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी गई। जहां तक अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर बिना विचार किए सरसरी तौर पर खारिज किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में आख्यात्मक आदेश अनुलग्नक–2 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम, परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों के आधार पर ही निस्तारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधि विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)